



मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक: एमएनजेवाई/13/2090

दिनांक : 22-4-13

आदेश

मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के द्वितीय एवं तृतीय चरण की सफल क्रियाविति हेतु जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को तथा ब्लॉक स्तर पर उपखण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

rmsc.mnjy@gmail.com

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एमएनजेवाई/13/

दिनांक :

प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चि0स्वा0 एवं प0क0 विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चि0स्वा0 एवं प0क0 एवं मिशन निदेशक एन.आर.एच.एम.।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.एल. जयपुर।
6. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
7. समस्त सयुक्त निदेशक, राजस्थान को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार नियुक्त नोडल अधिकारी की (नाम, पदनाम, मोबा0, ई-मेल आई डी,) समस्त सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता को ई - मेल : rmsc.mnjy@gmail.com पर अविलम्ब उपलब्ध करावें।
8. परियोजना निदेशक /नोडल अधिकारी एम.एन.जे.वाई. राजस्थान जयपुर।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
10. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र विभागीय वेब साइट पर अपलोड करावे एवं Email करके।
11. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर